भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110 001

सं० भा०नि०आ०/प्रेस नोट/35/2010 दिनांक: 8 अक्टूबर, 2010

प्रेस नोट

विषय: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन राजनीतिक दलों का पंजीकरण – अतिरिक्त दिशानिर्देश जारी करना – तत्संबंधी।

राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के उपबन्धों द्वारा विनयमित किया जाता है। आयोग में पंजीकरण करवाने के इच्छुक दल को, आयोग को अपना आवेदन उक्त धारा के अधीन दल के गठन की तिथि से 30 दिन की अवधी के भीतर उक्त धारा की उप-धारा (4) के अधीन यथाअपेक्षित दल के बारे में मूल विवरण जैसे नाम, पता विभिन्न इकाईयों की सदस्यता का विवरण, पदाधिकारियों के नाम तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क की उप-धारा (6) के अधीन ऐसे अन्य विवरण जिन्हें आयोग विनिर्दिष्ट करें, इत्यादि को निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होता है।

आयोग ने समय समय पर आवेदक दलों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त विवरणों को निर्धारित किया है। आयोग ने व्यवस्था और राजनीतिक दलों के पंजीकरण की प्रक्रिया का पुनरीक्षण किया है तथा अब, नए दिशा-निर्देश, शर्तें एवं विवरण निर्धारित किए हैं। नए दिशा-निर्देशों की एक मुख्य विशेषता यह है कि आयोग में आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात, आवेदक दल द्वारा अपने दल तथा अपने मुख्य पदाधिकारियों के नाम तथा पते को दर्शाते हुए दो राष्ट्रीय तथा दो स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रसारित किया जाना अपेक्षित है ताकि दल को पंजीकृत किए जाने में यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वे आयोग के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सके। नए दिशा-निर्देश 15 अक्टूबर, 2010 से प्रभावी होंगे।

नए दिशा-निर्देश तथा शर्तें आयोग कि वेबसाइट http://eci.nic.in पर डाल दिए गए हैं।

ह०

(तपस कुमार)
प्रधान सचिव